

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चाहल  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठापीन अधिकारी: शेखर कुमार यादव R.A.S.

महेषाराम शंकरगाराम उन्वान जगा पि. तेजा कौरा  
बनाम .....

दावा बाबत 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 169/18

निर्णय दिनांक :- 29.6.18

वादी की ओर से महेषाराम की व प्रतिवादी की ओर से ..... की  
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ..... को ..... (नाम पीठासीन अधिकारी).....  
उपखण्ड अधिकारी, चाहल के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और  
डिक्री दी जाती है कि -

वादी का वाद क्लाम से सहमत है जोकार कर्मोका कार दिया है  
बिना ख.न. 474 में वादी का नाम मायसा वल्दराणा के स्थान  
पर महेषाराम वल्द राणाराम वुरस्त कैंकी घोषणा की  
की जाती है निर्णय को पालना हेतु तहसिलदार सिधा  
की जांचा किया जाता है/ पत्रावली के हल शुजा होकर  
दाखिल दफतर हो



खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.6.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(शेखर)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर.....